न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

अपील संख्या 198/2025

1. शेरसिंह पुत्र भगवानाराम जाति जाट, निवासी नाटास, तहसील गुढागौडजी, जिला झुंझुनूं (राज0)

––अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार गुढागौडजी, तहसील गुढागौडजी, जिला झुंझुनूं।

––रेस्पोडेन्ट

–––

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 27.06.2025 न्यायालय नायब तहसीलदार गुढागौडजी, उनवानी सरकार बनाम शेरसिंह पुत्र भगवानाराम मुकदमा सं0 54/2025 अ0धा0 91(6) राज0 भू राजस्व अधिनियम

–––

उपस्थित :–

1. श्री आबिद एम खान, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 28.08.2025

प्रस्तुत अपील नायब तहसीलदार, गुढागौडजी के आदेश दिनांक 27.06.2025 के विरूद्ध मय प्रार्थना पत्र स्थगन के पेश की गई है। अपीलार्थी की ओर से अपील निम्नलिखित प्रकार प्रस्तुत है कि भू0अ0 निरीक्षक बडागांव एवं पटवारी हल्का नाटास द्वारा रिपोर्ट नायब तहसीलदार, गुढागौडजी को इस आशय की पेश की गई है कि ग्राम नाटास के भूमि खसरा नम्बर 123 रकबा 7.97 हैक्टर में से 0.50 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन बंजड़ 2 की भूमि अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि पर फसल काश्त कर अतिक्रमण कर रखा है। इस रिपोर्ट पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(6)(क) राज0 भू–राज0 अधि0 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी/अपीलान्ट ने अदालत मातहत मे उपस्थित होकर दिनांक 17.03.2025 को सुनवाई के दौरान न्यायालय मे उपस्थित होकर जबाब पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी/अपीलान्ट के विरूद्व हल्का नाटास पटवारी ने झूठी व बेबुनियाद रिपोर्ट पेश की है कि अपीलान्ट के विरूद्व भूमि खसरा नम्बर 123 रकबा 7.97 हैक्टर में से 0.50 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन बंजड़ 2 की भूमि पर अतिचार करने बाबत रिपोर्ट गलत तथ्यों के आधार पर पेश की है जो अधूरी रिपोर्ट पेश होने से खारीज योग्य है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 123 रकबा 7.97 हैक्टर में से 0.50 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन बंजड़ 2 की भूमि पर प्रार्थी द्वारा किसी तरह का नया पक्का अथवा कच्चा निर्माण नही किया गया है न ही किसी तरह का नया कब्जा काश्त किया है। इसलिए प्रार्थी द्वारा कोई नया अतिचार न होने से प्रार्थी के खिलाफ धारा 91(6)(क) राज0 भू राज0 अधि0 की कार्यवाही बेबुनियाद है प्रार्थी द्वारा कोई नया अतिचार नही किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा उक्त भूमि पर किसी तरह का अतिचार किया हुआ है जिस बाबत कोई स्पष्ट रिपोर्ट नही की है। इसलिए प्रार्थी के विरूद्व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(6)(क) की कार्यवाही करना उचित नही है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 123 रकबा 7.97 हैक्टर में से 0.50 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन बंजड़ 2 की भूमि की गई राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 1956 की धारा 91(6)(क) के तहत की गई कार्यवाही को ड्रॉप किया जावे। नायब तहसीलदार, गुढागौडजी ने प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जबाब के उक्त तथ्यों पर गौर किये बगैर प्रार्थी/अपीलान्ट को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 1955 की धारा 91(6)(क) भू राज0 अधि0 के तहत तीन माह के सिविल कारावास की सजा का आदेश प्रदान कर गिरफ्तारी हेतु वारण्ट थानाधिकारी, पुलिस थाना, गुढागौडजी को भेजकर अपीलान्ट को बेदखल कर पैनल्टी लगान 3.50 रूपये का 50 गुणा यानि 175/– रूपये शास्ति आरोपित कर नाजायज व गैरकानूनी आदेश दिनांक 27.06.2025 प्रदान किया है। उक्त आदेश दिनांक 27.06.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट की ओर से अपील निम्न उजरात के साथ पेश है कि अदालत मातहत का आदेश दिनांक 27.06.2025 खिलाफ कानून व विरूद्व पत्रावली है। अदालत मातहत द्वारा ज्यूडीशियल माईण्ड अप्लाई किये बगैर व न्यायिक प्रकिया की पालना किये बगैर आदेश दिनांक 27.06.2025 प्रदान किया है तो विधि विरूद्व है। पटवारी हल्का गुढागौडजी की गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के विरूद्व अ0धा0 91(6) रा0 भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही की गई है जबकि टाईपशुदा प्रफोर्मे मे पटवारी रिपोर्ट दिनांक 02.01.2025 मे भूमि खसरा नम्बर 123 रकबा 7.97 हैक्टर में से 0.50 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन बंजड़ 2 की भूमि पर अपीलान्ट के अतिकमण की झूठी रिपोर्ट तैयार की गई जिसमे किसी स्वतंत्र गवाहान् की मौजूदगी व उसके हस्ताक्षर नही है। ना ही उक्त रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व अपीलान्ट को किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई व ना ही अपीलान्ट के उक्त रिपोर्ट पर कोई हस्ताक्षर है अपीलान्ट का उक्त वर्णित भूमि पर मौके पर उपस्थिति बाबत कोई

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

कथन उक्त पटवारी रिपोर्ट मे कहीं भी अंकन नही किया गया है। हल्का पटवारी ने मात्र टाईपशुदा प्रफौर्मे मे अपीलान्ट के विरूद्व गलत व झूठे व मनगढन्त तथ्य दर्ज किये जिस पर अदालत मातहत द्वारा गौर नही कर विधि विरूद्व रूप से पारित आदेश दिनांक 27.06.2025 निरस्त होने योग्य है। प्रस्तुत रिपोर्ट के साथ बयान हल्का पटवारी नाटास ने टाईपशुदा फोर्मेट पर स्वयं का नाम अंकन कर भूमि खसरा नम्बर 123 रकबा 7.97 हैक्टर में से 0.50 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन बंजड़ 2 की भूमि को झूठे व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर विवादित भूमि का गैर मुमकिन नदी बताकर झूठे बयान स्वयं के प्रस्तुत किये है। प्रस्तुत बयान किस तारीख को किस न्यायालय के किस प्रकरण मे दर्ज किये गये है, इसका अंकन हल्का पटवारी के बयानों मे कहीं भी दर्ज नही किया गया है। अपीलान्ट की गैर मौजूदगी मे तथाकथित टाईपशुदा अधूरे बयान अदालत मातहत मे प्रस्तुत किये है। अपीलान्ट को गवाह से जिरह का अवसर प्रदान किये बिना अदालत मातहत ने विधि विरूद्व रूप से कानूनी प्रक्रिया की पालना किये बिना आदेश दिनांक 27.06.2025 प्रदान किया है। अ0धा0 91(6) राज0 भू राज0 अधि0 के अधीन स्पष्ट अंकित है कि इस धारा के अधीन अपराध का अन्वेषण उप अधीक्षक पुलिस रैंक से किसी नीचे के अधिकारी के द्वारा नही किया जावेगा व धारा (ख) मे स्पष्ट अंकित है कि कोई भी न्यायालय खण्ड ख के अधीन किसी अपराध का संज्ञान कलक्टर की पूर्व मंजूरी के सिवाय नही करेगा जबकि अदालत मातहत द्वारा अपने आदेश दिनांक 27.06.2025 मे प्रकरण की जांच किसी सक्षम पुलिस अधिकारी से करवाये बगैर अपीलान्ट को 3 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने के आदेश विधि विरूद्व रूप से प्रदान किये गये है। इससे स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा कानूनी प्रावाान की पालना किये बगैर कानूनी प्रक्रिया की पालना किये बगैर आदेश दिनांक 27.06.2025 प्रदन किये है। प्रस्तुत प्रकरण मे फर्द फसल निलामी की कुर्की व निलामी की प्रक्रिया विधि विरूद्व व कानूनी प्रावधानों के विपरीत की है। नायब तहसीलदार, गुढागौडजी द्वारा अपीलान्ट को कभी भी विवादित भूमि खसरा नम्बर 123 रकबा 7.97 हैक्टर में से 0.50 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन बंजड़ 2 की भूमि मे से फसल को हटाने बाबत कभी नोटिस नही दिया गया ना ही पत्रावली पर विवादित भूमि मे प्रार्थी/ अपीलान्ट द्वारा काश्त की गई फसल को हटाने बाबत किसी प्रकार के कोई नोटिस का विवरण आदेश दिनांक 27.06.2025 मे अंकित है इससे स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा कानूनी प्रक्रिया की पालना किये बगैर प्रदान आदेश दिनांक 27.06.2025 निरस्त होने योग्य है। अपीलान्ट का कभी विवादित भूमि पर कोई कब्जा कर अतिक्रमण नही किया है। अपीलान्ट के विरूद्व झूठी पटवारी रिपोर्ट के आधार पर 91(6) भू राज0 अधि0 की कार्यवाही की गई है। अदालत मातहत द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बगैर 3 माह के सिविल कैद की सजा से दण्डित किये जाने के आदेश दिनांक 27.06.2025 प्रदान किये है जो निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अदालत मातहत नायब तहसीलदार गुढगौडजी का आदेश दिनांक 27.06.2025 निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत द्वारा ज्यूडीशियल माईण्ड अप्लाई किये बगैर व न्यायिक प्रक्रिया की पालना किये बगैर आदेश दिनांक 27.06.2025 प्रदान किया है तो विधि विरूद्व है। पटवारी हल्का गुढागौडजी की गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के विरूद्व अ0धा0 91(6) रा0 भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही की गई है जबकि टाईपशुदा प्रफोर्मे मे पटवारी रिपोर्ट दिनांक 02.01.2025 मे भूमि खसरा नम्बर 123 रकबा 7.97 हैक्टर में से 0.50 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन बंजड़ 2 की भूमि पर अपीलान्ट के अतिक्रमण की झूठी रिपोर्ट तैयार की गई जिसमे किसी स्वतंत्र गवाहान् की मौजूदगी व उसके हस्ताक्षर नही है। ना ही उक्त रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व अपीलान्ट को किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई व ना ही अपीलान्ट के उक्त रिपोर्ट पर कोई हस्ताक्षर है अपीलान्ट का उक्त वर्णित भूमि पर मौके पर उपस्थिति बाबत कोई कथन उक्त पटवारी रिपोर्ट मे कहीं भी अंकन नही किया गया है। हल्का पटवारी ने मात्र टाईपशुदा प्रफौर्मे मे अपीलान्ट के विरूद्व गलत व झूठे व मनगढन्त तथ्य दर्ज किये जिस पर अदालत मातहत द्वारा गौर नही कर विधि विरूद्व रूप से पारित आदेश दिनांक 27.06.2025 निरस्त होने योग्य है। प्रस्तुत रिपोर्ट के साथ बयान हल्का पटवारी नाटास ने टाईपशुदा फोर्मेट पर स्वयं का नाम अंकन कर भूमि खसरा नम्बर 123 रकबा 7.97 हैक्टर में से 0.50 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन बंजड़ 2 की भूमि को झूठे व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर विवादित भूमि का गैर मुमकिन नदी बताकर झूठे बयान स्वयं के प्रस्तुत किये है। प्रस्तुत बयान किस तारीख को किस न्यायालय के किस प्रकरण मे दर्ज किये गये है, इसका अंकन हल्का पटवारी के बयानों मे कहीं भी दर्ज नही किया गया है। अपीलान्ट की गैर मौजूदगी मे तथाकथित टाईपशुदा अधूरे बयान अदालत मातहत मे प्रस्तुत किये है। अपीलान्ट को गवाह से जिरह का अवसर प्रदान किये बिना अदालत मातहत ने विधि विरूद्व रूप से कानूनी प्रक्रिया की पालना किये बिना आदेश दिनांक 27.06.2025 प्रदान किया है। अ0धा0 91(6) राज0 भू राज0 अधि0 के अधीन स्पष्ट अंकित है कि इस धारा के अधीन अपराध का अन्वेषण उप अधीक्षक पुलिस रैंक से किसी नीचे के अधिकारी के द्वारा नही किया जावेगा व धारा (ख) मे स्पष्ट अंकित है कि कोई भी न्यायालय खण्ड ख के अधीन किसी अपराध का संज्ञान कलक्टर की पूर्व मंजूरी के सिवाय नही करेगा जबकि अदालत मातहत द्वारा अपने आदेश दिनांक 27.06.2025 मे प्रकरण की जांच किसी सक्षम पुलिस अधिकारी से करवाये बगैर अपीलान्ट को 3 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने के आदेश विधि विरूद्व रूप से प्रदान किये गये है। इससे स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा कानूनी प्रावाान की पालना किये बगैर

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

कानूनी प्रकिया की पालना किये बगैर आदेश दिनांक 27.06.2025 प्रदन किये है। प्रस्तुत प्रकरण मे फर्द फसल निलामी की कुर्की व निलामी की प्रक्रिया विधि विरूद्व व कानूनी प्रावधानों के विपरीत की है। नायब तहसीलदार, गुढागौडजी द्वारा अपीलान्ट को कभी भी विवादित भूमि खसरा नम्बर 123 रकबा 7.97 हैक्टर में से 0.50 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन बंजड़ 2 की भूमि मे से फसल को हटाने बाबत कभी नोटिस नही दिया गया ना ही पत्रावली पर विवादित भूमि मे प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा काश्त की गई फसल को हटाने बाबत किसी प्रकार के कोई नोटिस का विवरण आदेश दिनांक 27.06.2025 मे अंकित है इससे स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा कानूनी प्रक्रिया की पालना किये बगैर प्रदान आदेश दिनांक 27.06.2025 निरस्त होने योग्य है। अपीलान्ट का कभी विवादित भूमि पर कोई कब्जा कर अतिक्रमण नही किया है। अपीलान्ट के विरूद्व झूठी पटवारी रिपोर्ट के आधार पर 91(6) भू राज0 अधि0 की कार्यवाही की गई है। अदालत मातहत द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बगैर 3 माह के सिविल कैद की सजा से दण्डित किये जाने के आदेश दिनांक 27.06.2025 प्रदान किये है जो निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अदालत मातहत नायब तहसीलदार गुढगौडजी का आदेश दिनांक 27.06.2025 निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट ने ग्राम नाटास स्थित भूमि खसरा नम्बर 123 रकबा 7.97 हैक्टर में से 0.50 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन बंजड़ 2 की भूमि मे अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट को नोटिस जारी किये गये है। अपीलान्ट बावजूद नोटिस तामिल अदालत मातहत मे उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट को पूर्व मे अतिक्रमी घोषित कर बेदखल कर दिया गया था। प्रकरण मे अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का के बयान हुए है। अपीलान्ट ने राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है जो प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। अपीलान्ट का अवैध कब्जा है। अदालत मातहत ने नियमानुसार आदेश पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलान्ट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत ने अपीलान्ट को ग्राम नाटास स्थित भूमि खसरा नम्बर 123 रकबा 7.97 हैक्टर में से 0.50 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन बंजड़ 2 की भूमि पर अतिक्रमी माना है। अपीलान्ट ने कथन किया कि उनके द्वारा विवादित भूमि से कब्जा हटा रखा है तथा भविष्य में वे अतिक्रमण नहीं करेगें। इसी प्रकार के प्रकरण के संबंधित अन्य प्रकरण में नजीर प्रस्तुत हुई है जिसके अनुसार "भू राजस्व अधिनियम, 1956–धारा 91–चारागाह भूमि पर अतिक्रमण–बेदखली, कारावास व शास्ति का आदेश–प्रार्थी ने शपथ पत्र पेश किया और कारावास को अपास्त करने की प्रार्थना की–प्रार्थी ने अण्डरटेकिंग दी कि भविष्य में वह अतिक्रमण नहीं करेगा–निर्णित, मामले के तथ्यों को देखते हुये सिविल कारावास का आदेश सशर्त अपास्त किया।" जो प्रकरण पर चस्पा होती है। अतः उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 27.06.2025 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अदालत मातहत मौके की पुनः जांच करे कि अपीलान्ट द्वारा अपना अतिक्रमण हटा लिया गया है या नहीं यदि मौके पर अतिक्रमण पाया जाता है तो अतिक्रमी को नियमानुसार सुनवाई का अवसर देकर गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करें। अपील स्वीकार होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरुण गर्ग)

जिला कलक्टर झुंझुनूं